रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092022-238720 CG-DL-E-10092022-238720

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4062] No. 4062] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2022/भाद्र 18, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2022/BHADRA 18, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 सितम्बर. 2022

का.आ. 4243(अ).—केंद्रीय सरकार ने पूर्व में दिनांक 4 मई, 2022 की अधिसूचना फा.सं.यू.11019/09/2022- एचआर के तहत अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र उपयुक्त प्राधिकरण को अधिसूचित किया जो भारत के राजपत्र में दिनांक 4 मई, 2022 के का.आ. संख्या 2073 (अ) के तहत प्रकाशित किया था। अब केंद्रीय सरकार दिनांक 26 अगस्त, 2022 के पत्र संख्या 12-159/सरोगेसी/एआरटी/डीडी एफडब्ल्यू/डीएचएस/2016/पीएफ द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन के सचिवालय द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार एतद्द्वारा रा द्वारा अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र उपयुक्त प्राधिकरण की संरचना के संबंध में 4 मई, 2022 की उपरोक्त अधिसचना को आंशिक रूप से संशोधित करती है, जिसमें अब निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- i. सचिव (स्वास्थ्य), अंडमान और निकोबार प्रशासन, अध्यक्ष के रूप में;
- ii. स्वास्थ्य सेवा निदेशक, अंडमान और निकोबार प्रशासन, उपाध्यक्ष के रूप में;
- iii. उप सचिव (विधि), अंडमान और निकोबार प्रशासन, सदस्य के रूप में;

[फा. सं. यू.11019/62/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

6072 GI/2022 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2022

S.O. 4243(E).—Central Government has earlier notified UT Appropriate Authority for UT of Andaman and Nicobar vide Notification F. No. U.11019/09/2022-HR dated 4th May, 2022 published in Gazette of India under SO No. 2073 (E) dated 4th May, 2022. Now Central Government in accordance with the request made by Secretariat of UT of Andaman and Nicobar Administration vide their letter No. 12-159/surrogacy/ART/DD FW/DHS/2016/PF dated 26th August, 2022 hereby partially modifies the aforementioned Notification dated 4th May, 2022 with regard to composition of Appropriate Authority for the UT of Andaman and Nicobar which shall now consists of the following:

- i. Secretary (Health), A&N Administration, as Chairperson;
- ii. Director of Health Services, A&N Health Department, as Vice-Chairperson;
- iii. Deputy Secretary (Law), A&N Administration, as Member.

[F. No. U.11019/62/2022-HR] GEETA NARAYAN, Jt. Secy.